उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-22/2018/209/92-2-18-79जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 25 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-मेरठ में वर्ष 2013-14 में चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-180/2017/1892/92-2-17-79जांच/15 दिनांक 13-10-2017 द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया था।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री अशोक कुमार गुप्ता, (सेवानिवृत्त) की दिनांक 17-01-2016 को देहान्त हो जाने के द्रष्टिगत वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1713/दस-87-933/98 दिनांक 28-07-1989 में दी गयी व्यवस्था ''मृत्यु होने की दशा में संबंधित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है और चूंकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नही कही जा सकती। अत: मृत्यु के दिनांक को ऐसे विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुये समझी जायेगी।'' के क्रम में श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता (से0नि0) के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-10-2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-22/2018/209(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता, के उत्तराधिकारी द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in